


पर मनन किया तो पाया कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के आदेश क्रमांक 52-56 दिनांक 21/10/2021 को आ.ख.नं. 1076 रकबा 0.33 हैक्टर बरानी ए में से 0.25 हैक्टर नियम 1963 के तहत चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र भाकरी तहसील पावटा को भवन निर्माण हेतु निशुल्क भूमि आवंटन की गयी है।

पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब के मुताबिक गिरदावरी रिकॉर्ड अनुसार उक्त भूमि पडत भूमि है। आवंटन चैक लिस्ट अनुसार पूर्व में आंगनबाडी केन्द्र को पूर्व में भूमि आवंटन नहीं हुयी है। उक्त प्रश्नगत भूमि 1076/0.33 किस्म बरानी ए मौजा भाकरी में वर्तमान जमाबंदी अनुसार सिवायचक भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 107 पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त ख.नं. में से 0.25 हैक्टर भूमि चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र को आवंटन की गयी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी के यहां ग्राम पंचायत से चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पूर्व में चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र को भूमि आवंटन नहीं हुयी है। मौके पर भूमि पडत पडी है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के संग ग्राम भाकरी में आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार से निर्धारित चैक लिस्ट में भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र भाकरी तहसील पावटा को भूमि निशुल्क आवंटन की गयी है, जो नियम विरुद्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात् एवं सबूत पेश नहीं किये जिससे उनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रही हो। इसलिए प्रार्थी का यह तर्क गलत है कि मौके पर फसल खडी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र भाकरी तहसील पावटा को आवंटन की गयी भूमि के आदेश यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
आ. को. पू. त. ली. (जयपुर)
को. ट. पू. त. ली. (जयपुर)